

265 31 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के अधिकारियों के प्रदर्शन से संबंधित वेतन(पीआरपी) का भुगतान।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 31 दिसंबर 2012 के समसंख्यक का.ज्ञा. की एक प्रति के साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि डीपीई का.ज्ञा. दिनांक 31.12.2012 के आधार पर प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के उपयुक्त निर्देश जारी करें।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2(68)/11-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-V/14, दिनांक 10 फरवरी, 2014)

\*\*\*\*\*